समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 04 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अप्रेल, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

तेलंगाना ने लागू किया एससी आरक्षण में वर्गीकरण, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य

हैदराबाद। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्गीकरण लागू किया गया है। आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य की 59 अनुसूचित जातियों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर उन्हें राज्य की नौकरियों और शिक्षा में 15 फीसदी आरक्षण दिया जाए।

तेलंगाना अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में जातिगत वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 134वीं जयंती पर राज्य की कांग्रेस सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने यह जानकारी दी।

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शमीम अख्तर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्गीकरण लागू किया गया है। आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्य की 59 अनुसूचित जातियों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर उन्हें राज्य की नौकरियों और शिक्षा में 15 फीसदी आरक्षण दिया जाए। विधानसभा ने जस्टिस अख्तर आयोग की सिफारिशों को फरवरी में मंजूर कर लिया थाए हालांकि आयोग की ओर से क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने की सिफारिश नहीं मानी गई थी। अनुसूचित जाति आरक्षण विधेयक 2025 पिछले महीने पारित किया गया था।

किसको कितना आरक्षण

समूह-1 को एक प्रतिशत आरक्षण- जिसमें 15 अनुसूचित जाति समुदाय शामिल है।

समूह-2 को नौ प्रतिशत आरक्षण - जिसमें 18 मध्यम रूम से लाभांवित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल है।

समूह-3 को पांच प्रतिशत आरक्षण- जिसमें 26 उल्लेखनीय रूप से लाभांवित अनुसूचित जाति समुदाय शामिल है।

सरकार के आदेश में कहा गया है, कानून को राज्यपाल ने 8 अप्रैल को मंजूरी दी और इस मंजूरी की सूचना को आम लोगों की जानकारी के लिए 14 अप्रैल को तेलंगाना गजट में प्रकाशित किया गया। एससी वर्गीकरण का फैसला तेलंगाना हाईकोर्ट ने दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह वर्गीकरण लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बन गया है।

15 जातियों को 1, 18 को नौ और 26 को पांच फीसदी आरक्षण आदेश के अनुसार पहली श्रेणी में 15 जातियों को एक फीसदी, दूसरी में 18 फीसदी जातियों को 9 फीसदी और तीसरी श्रेणी में 26 जातियों को पांच फीसदी आरक्षण दिया गया है। जस्टिस अख्तर आयोग ने इन जातियों का वर्गीकरण उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के आकलन के आधार पर किया है। रेड्डी ने कहा, आज और अभी से तेलंगाना में नौकरी और शिक्षा में एससी वर्गीकरण लागू हो गया है। हमने सरकारी आदेश जारी कर पहली प्रति मुख्यमंत्री को सौंप दी है।

कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश, कुल कोटा हो सकता है 85 प्रतिशत

बंगलूरू । कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के सामने जाति जनगणना आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। अगर राज्य सरकार इस रिपोर्ट को लागू करती है तो राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 85 प्रतिशत हो जाएगा।

बता दें कि इसमें पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्लूयूएस) के लिए 10 प्रतिशत और अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के लिए 24 प्रशित आरक्षण शामिल है। इसके साथ ही, महिलाओं, दिव्यांगों जैसे समूहों को मिलने वाला क्षैतिज आरक्षण भी लागू रहेगा। (यहां क्षैतिज आरक्षण का अर्थ जो आरक्षण महिलाओं, विकलांग (दिव्यांग) व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए होता है)

आर्थिक सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार को सिफारिश

आयोग द्वारा यह सिफारिश हाल ही में कराए गए सामाजिक,आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण (जिसे जाति जनगणना भी कहा जाता है) के आधार पर की गई है। इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटक में पिछड़े वर्गों की आबादी करीब 70 प्रतिशत है। पैनल का मानना है कि अगर इतनी बड़ी आबादी को उनकी संख्या के हिसाब से सरकारी सुविधाएं और आरक्षण नहीं दिया गया, तो समानता नहीं हो पाएगी।

मामले में पैनल का मानना है कि हालांकि ओबीसी की जनसंख्या 69.6 प्रतिशत है, फिर भी राज्य की आधी से भी कम आबादी को आरक्षण मिल पा रहा है। अगर आबादी के अनुपात में आरक्षण नहीं दिया गया, तो सरकारी लाभों का समान वितरण नहीं होगा।

उत्तराखंड में भी एससी आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू करने को बने आयोग

जसपुर। तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए तय आरक्षण में जातिगत वर्गीकरण लागू होने के बाद प्रदेश में भी इसे लागू किए जाने की मांग उठने लगी है। पूर्व विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर एससी आरक्षण में उप वर्गीकरण के लिए आयोग का गठन करने की मांग की।

पूर्व विधायक डॉ. शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि एक अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप वर्गीकरण की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। ताकि इन समुदायों के ही अति पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। इन जातियों में उप वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को दिया है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बीते दिन तेलंगाना सरकार ने इसे अपने यहां लागू किया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर तेलंगाना की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लागू किए जाने के लिए आयोग का गठन करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने 25 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें एक पत्र दिया था।

अध्यक्ष की कलम से

''डटेंगे तो जीतेंगे''

साथियों,

आज पूरे देश में सबसे लोकप्रिय या समझो चर्चित नारा है ''बंटेंगे तो कटेंगे। इस राजनैतिक नारे के साथ ही सामाजिक नारा ''बढ़ेंगे तो बचेंगें'' भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन समता आन्दोलन का इनसे अलग ही एक नारा बहुत पहले से है- ''डटेंगे तो जीतेंगे''।

अपने नारे को आदर्श वाक्य मानकर चल रहा समता आन्दोलन आज गर्व से कह सकता है कि विगत सत्रह सालों की तपस्या में 18 वाँ सौपान जुड़ने जा रहा है। जी हाँ, ।। मई को समता आन्दोलन का 18 वो स्थापना दिवस है। और, इसे समारोह के रूप में मनाने के लिये पूरे एक महिने तक आयोजन होंगे।

अभी तक मिली सूचना के अनुसार भरतपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, बीकानेर संभाग व जिला मुख्यालयों पर तैयारी जोर शोर से चल रही हैं। साथियो स्थापना दिवस हमारी कार्य समता के लिये नयी उर्जा का काम करता है।

यदि हम डटे नहीं रहते तो शायद उखड़ जाते। ठीक वैसे जैसे अनेक आरक्षण विरोधी संगठन धूमधाम से उठे और आज कहीं भी नहीं हैं। जबकि हमारा उद्देश्य जाति आरक्षण को लेकर बढ रहे असंतुलन को संविधान के माध्यम से इस तरह उपयोगी बनाना था कि जिन्हे लाभ मिलना है वो उन्हें मिले लेकिन नुक्सान किसी का न हो। हम सफल रहे।

''डटेंगे तो जीतेंगे'' का दूसरा सोपान शुरू हो चुका है। इस पर आगे बात करेंगे। अभी तो प्रत्येक सदस्य कम से कम एक नया सदस्य बनाकर 'स्थापना दिवस' समारोह में जुट जाये। सभी को सफलता की अग्रिम बधाई हो।

जय समता ।

सम्पादकीय

''जाति आरक्षण फिर से रक्तबीज''

असमंजस है। घोर असमंजस है। समझ नहीं आ रहा है कि परिस्थितियॉ बदली है अथवा अधिक जटिल हो गई है। मोटे तौर पर यह सुखद लगता है कि एससी और एसटी के कोटे में क्रीमीलेयर को लागू करने को लेकर 2024 में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों पीठ ने 6-1 के अनुपात में प्रदेश सरकारों को जो फ्री-हैड दिया था उसका पहला प्रभाव हरियाणा चुनाव के ठीक बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में इस आशय का निर्णय पास हुआ कि इस प्रदेश में एससी तबके में अब कीमीलेयर का सिद्धान्त लागू होगा।

हाल ही पहले तेलंगाना को लेकर बड़ी खबर आई कि वहाँ की सरकार ने एससी-एसटी समूहों में कीमी लेयर का सिद्धांत लागू करके आरक्षण के वास्तविक हक़दारों के लाभ का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसके अगले दिन की खबर आई कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी एस सी तबके में कीमी लेयर लागू करने का निर्णय किया है। यह स्वागत योग्य है।

अब पहला असमंजस तो ये आता है कि हरियाण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने मात्र अनुसूचित जाति के लिये कीमीलेयर का सिद्धांत लागू किया है। कहा जा रहा है कि इन प्रदेशों में अनुचित जनजातियाँ हैं ही नहीं। ये तथ्य महानगर दिल्ली सरकार के लिये तो सही माना जा सकता है लेकिन किसी प्रदेश में जनजाती हो ही नहीं यह मानना कठिन प्रतीत होता है। फिर इस तरह तो ये प्रदेश दूसरे प्रदेशों की जनजातियों के लिये अभयारण्य बन जायेंगे। क्योंकि विगत 75 सालों में जिस तरह से जन संचरण और संक्रमण हुआ है उसे देखते हुये ऐसी संभावना से मना नहीं किया जा सकता है।

दूसरा असमंजस में है कि आज़ादी के अमृतकाल अर्थात 75वें वर्ष के बाद जहाँ जाति आरक्षण के समापन की अटकलें लगाई जा रही थी वहाँ 6-1 के इस सुप्रीम निर्णय में तो जाति आरक्षण को एक तरह से हमेशा के लिये अभयदान दे दिया है। क्योंकि इस फैसले के बाद भी उन आरक्षण पीड़ितों को तो कोई अनुतोष मिला नहीं जिनकी तीन-तीन पीढियाँ आरक्षण की भेंट चढ़ गई।

आरक्षण का सारा खेल वास्तव में कथित जातिवाद को समाप्त करने के लिये खेला जाता रहा है। लेकिन अब समझ में आ गया है कि जाति आरक्षण वस्तुत: रक्तबीज का ही रुपान्तरित दैत्य है। इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हमें यानि जनता को जाति छोड़ने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ सरकारें और संसद एससी-एसटी-ओबीसी- एमबीसी.....आदि विशेषण देकर इन्हें स्थाई बनाती जा रही हैं। जबकि जाति आरक्षण के कारण ही देश में बढती भीम-मीम की नजदीकियाँ किसी बड़े आसन्न संकट की तरफस्पष्ट इशारा कर रही हैं।

ये भी अनुभव है कि जाति आरक्षण की सारी लड़ाई प्रत्यक्ष या परोक्षत: ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ है। अत: हमारा सुझाव है कि पूरे भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने से सरल और बढिया है ब्राह्मण राष्ट्र बना दिया जाये । तथ्यत: भी यह गलत नहीं है।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया -

क्या सिद्धारमैया सरकार का ठेको में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का कोई औचित्य है?

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिनांक 14.03.2025 को केबीनेट की मीटिंग में कर्नाटक ट्रान्सपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योर्मेन्ट एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखाए जिसे मंजूर किया गया। इसे विधानसभा में पेश किया जावेगा। इससे पूर्व सरकार ने बजट सत्र के समय घोषणा की थी कि सार्वजनिक कार्यों के ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिम समुदाय को दिया जावेगा और यह आरक्षण श्रेणी ।। बी के अन्तर्गत आयेगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था सरकारी विभागोंए निगमों और संस्थानों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं की खरीद पर लागू होगी। एसटीए एससी और ओबीसी को इसमें पहले से आरक्षण है। जो श्रेणी.ए श्रेणी ।। ए में है। अब इसमें श्रेणी ।। बी को जोडा जायेगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय है। आरक्षित वर्ग के ऐसे ठेकेदार 2 करोड़ तक के ठेके के अधिकारी पात्र होंगे। इस प्रकार कर्नाटक में सरकारी टेन्डर व ठेकों में मुस्लिमों को 4 प्रतिशत कोटा देने की तैयारी करली है। यह कहा गया है कि 4 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी केटेगरी में होगाए किन्तु ये 4 प्रतिशत मुस्लिम ओबीसी केटेगरी के मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते।

> वस्तुत: 4 प्रतिशत मुसलमानों का सरकारी अनुबंधों में आरक्षण, इन्द्रा साहनी केस से भिन्न है। मूल प्रश्न है,अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की परिभाषा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम की धारा 2(सी) में है, वह तो प्रत्यक्षत: ही निरंकुश है, विवेकशून्य है और साथ ही हास्यास्पद भी। जब अल्पसंख्यक की परिभाषा ही अवैध है तो फिर अधिनियम 1992 स्वयं ही अर्थ शून्य हो जायेगा।

भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारतीय राज्य के विरूद्ध खुला युद्ध छेडने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुये कहा कि कांग्रेस नेता ने कथित संवैधानिक सिद्धान्तों पर साम्प्रदायिक तुष्टिकरण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 मार्च 2025 को सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव का असंवैधानिक कदम कहा है और इसे न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। दिनांक 24.03.2024 को संसद में भी भाजपा ने आरक्षण का विरोध करते हुयेए उसे असंवैधानिक बतलाया।

. आरक्षण के प्रावधान संवैधानिक के भाग 16 में पढ़ने को मिलते हैं। कुछ वर्गों के सम्बन्ध में अनुच्छेद 330, 331, 332, में आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व का उल्लेख है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख हमें भाग 16 में मिलेगा। अनुच्छेद 334 में लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं के लिये एसटी व एससी के आरक्षण के प्रावधान है। पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान भी आप इसी भाग में पढ़ सकते हैं। संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 342, जोड़ा गया है। यह प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिये है।

केरल, बिहार, तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल व उत्तरप्रदेश में मुस्लिमों के लिये आरक्षण का विशेष प्रावधान है। मुसलमानों को अल्पसंख्यक होने के नाते आरक्षण है। जबकि अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों के अतिरिक्त जैनए सिखए ईसाई और अन्य समुदाय भी हैं। आर्थिक आधार पर तथा प्रोमोशन में भी आरक्षण दिया गया है। अब तो यह कहा जा रहा है कि रेल के टिकिटों पर भी आरक्षण की मांग होगी।

संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में मिलता है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। साधारण रूप से हम कह सकते हैं बहुसंख्यक के विपरीत जो संख्या में कम हैं वे अल्पसंख्यक है। देश के कुछ लोगों के समूह की यदि कोई विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है तो उसके अनुसार उन्हें आरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार धर्म व भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार भी है। सरकार उनके कार्यों में कोई दखल भी नहीं देगी। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। भारतीय संविधान की संरचना अद्भुत है। अनुच्छेद 14 में राइट टू एक्ल्यूटी यानी समता का अधिकार दिया और अनुच्छेद 15 में घोषणा की कि धर्म, मूलवंश जातिए लिंग का जन स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही यह भी निर्देश दे दिया कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछडे हुये नारगिकों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये व्यवस्था करने से अन्य कोई बात होने पर उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगा।

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियमए 1992 लाया गया था। इस अधिनियम की धारा 2 सी में अल्पसंख्यक की परिभाषा है, उसके अनुसार अल्पसंख्यक वह है जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर करेगी। अधिनियमए 1992 की धारा 2 सी इस प्रकार है:-

(c) Minority for the purposes of this Act, means a community notified as such by the Central Government.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक 1992 के तहत् किया और प्रारम्भ में आयोग का गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम केन्द्र सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों अर्थात् मुस्लिमए ईसाईए सिखए बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अनुसूचित किया गया: किन्तु काफी समय बाद जैनों को गया। राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। राजस्थान व अन्य राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 29-30 के अन्तर्गत जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। केन्द्र सरकारने प्रथम नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटी का गठन आदेश दिनांक 12.1.1978 को किया था। इस कमीशन को मान्यता देने हेतु ही अधिनियम 1992 लाया गया था।

जैसा ऊपर यह स्पष्ट लिखा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियमए 1992 में किसी कॉम्यूनिटी को अल्पसंख्यक घोषित करने का अधिकार केवल केन्द्र सरकासर को था। अब राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है। अधिनियम 1992 की धारा 2 (सी)में अल्पसंख्यक की परिभाषा में यह कहा गया है कि जिसे केन्द्र सरकार राजपत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर करे वह अल्पसंख्यक है। केन्द्र सरकार ने निरंकुश होकरए बिना किसी वर्गीकरण के उक्त परिभाषा दी है। कानून की दृष्टि से यह अनुच्छेद 14 के अनुसार अवैध हैए चूंकि अमर्यादित है निरंकुश है। फिर 4 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी केटेगरी में देने का तो कोई औचित्य ही नहीं है।

साधारण भाषा में अल्पसंख्यक का अभिप्राय है- मेजोरिटी के विपरीत, बडे ग्रुप से छोटा ग्रुप। माइनोरिटी के तीन रूप हैं, राजनीतिकए धार्मिक व भाषाई माइनोरिटी। इनमें से धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यक के बाबत उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 29 में मिलता हैए किन्तु राजनीतिक अल्पसंख्यक को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया गया है।

(लगातार- पृष्ठ-4 पर-)

पौराणिक कथन: 'साम्ब'

जांबवती के गर्भ से उत्पन्न श्रीकृष्ण के 10 में से एक पुत्र जो सूर्य के मित्र रूप की सेवा करके कोढमुक्त हुए।

लोकतंत्र कभी नहीं थकता,
जातिवाद फल कभी न पकता।
उसका गिरना ही निश्चित है-
लोक लाज बिन जो भी बढता।।

कविता

चौपाईया

भारत केवल जाति अधारा।
आरक्षण ने पार उतारा।।
भारतवर्ष नया उजियारा।
प्रतिभाओं का है हत्यारा।।
बडे भाग रिजर्व तन पावा।
जनरल ऐसी तैसी करावा।।
शिक्षा चिकित्सा बना तबेला।
आरक्षण से भरा झमेला।।
ताज्जुब है पद पैसे वाला।
कण्ठ सजे आरक्षित माला।।
मंत्री जी गादी से आये।
बच्चे उनके दलित कहाये।।
जब मर्जी राजा बन जाये।
आवेदन में दलित कहाये।।
रोता सौ में नब्बे वाला।
माइनस वाला है उजियाला।।
पैदा होने से मरने पर ।
सब्सिडी जाति के दम पर।।
अखिल विश्व में भारत जैसा।
कोई नहीं देश है ऐसा।।
पद पैसे और ताकत वाला।
कण्ठ धार आरक्षित माला।
मंत्री जी भारत दौड़ाये।
बच्चे उनके दलित कहाये।।
जब मर्जी राजा बन जाये।
आवेदन में सर्टिफिक्रेट लगाये।।
अब तो रब कानून बनाये।
स्वर्ग नर्क आरक्षण लगाये।।
गुंडा मव्वाली स्वर्ग भोगेगा।
गर जाति रिजर्व का होगा।।
जो आरक्षित सर्टिफिकेट बनाये।
ईश्वर पहले पास बुलाये।।

– सोशल मीडिया से –

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह जाता।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनके सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यो नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते है और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघान होता है।

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा

सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को चार फीसदी कोटा पर राज्यपाल ने जताई असहमति

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में चार फीसदी आरक्षण देने वाले विधेयक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने इस विधेयक को अपनी मंजूरी देने की बजाय राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख लिया है।

राजभवन सूत्रों के मुताबिक, यह विधेयक अब कर्नाटक की विधि और संसदीय कार्य विभाग के जरिए राष्ट्रपति को भेजा दिया गया है।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को चार प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख लिया है। राजभवन के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्यपाल गहलोत ने विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर दिया और इसे कर्नाटक के विधि एवं संसदीय कार्य विभाग को भेज दिया। अब राज्य सरकार इस विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी।

कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों से बिल पारित

बता दें किए राज्य में भाजपा के विरोध के बावजूद कर्नाटक विधानमंडल के दोनों सदनों ने बिल पारित किया था। वहीं भाजपा ने इसे लेकर आरोप लगाया कि यह विधेयक अवैध है क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि इस विधेयक में सत्तारूढ़ कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति की बू आती है। पार्टी ने राज्य भर में चल रही अपनी जनआक्रोश यात्रा के दौरान इस विधेयक को प्रमुख मुद्दा बनाया है।

भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह समानता (अनुच्छेद 14), गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15) और समान अवसर (अनुच्छेद 16) जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

राज्यपाल ने क्या कहा ?

राज्यपाल गहलोत ने कहा कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह समानता (अनुच्छेद 14), गैर-भेदभाव (अनुच्छेद 15) और समान अवसर (अनुच्छेद 16) जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

उन्होंने अपने पत्र में लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि आरक्षण केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है, धर्म के आधार पर नहीं।'

राज्यपाल ने अनुच्छेद 15 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता।

संवैधानिक अधिकार और राज्यपाल का निर्णय

राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत उन्हें यह अधिकार है कि वे किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वह निर्णय ले कि कोई विधेयक तुरंत पारित हो या आगे राष्ट्रपति को भेजा जाए। उन्होंने कहा, 'कोई भी विधेयक तभी कानून बनता है जब राज्यपाल उसे मंजूरी दें या वह राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त कर ले। अगर कोई भ्रम या भविष्य में विवाद की संभावना हो, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं।'

क्या है यह विधेयक ?

यह विधेयक 'कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2025' है, जिसे कांग्रेस सरकार ने 21 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया था। इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण मिले।

4प्रतिशत का कोई औचित्य है?
(पृष्ठ-2 से लगातार)

टीएमए पाई फाउण्डेशन के कैस का निर्णय बडी पीठ का निर्णय है। इस केस में यह स्पष्ट निर्णय हैए चूंकि कि देश का पुनर्गठन भाषा के आधार पर है अत: राज्यों में अल्पसंख्यकों का निर्णय भी उसी प्रकार होना चाहिये। टीएमए पाई फाउण्डेशन के केस में यह स्पष्ट किया है कि चूंकि पूर्व से राज्यों में ईसाई मेजोरिटी में है अत: हिन्दू वहां अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुमत में है अत: हिन्दू अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक से अभिप्राय है धार्मिक अल्पसंख्यक है। जैनों को अल्पसंख्यक इसलिये माना कि जैन धर्म वैदिक धर्म से पूर्व का है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है। ऋषभदेव का उल्लेख वेदों में मिलता है, अत: यह कहना गलत है कि जैन धर्म हिन्दू धर्म का भाग है। उक्त निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अल्पसंख्यकों की घोषणा का अधिकार नहीं है, यह विषय राज्य सरकार का है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 न तो केन्द्र की लिस्ट.1 में और न राज्य लिस्ट के विषयों के तहत् ही आते हैं। टीएमए पाई के केस 2002 (2) एससीसी 481 में जो विवेचन सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसके बाबत संसद को शिक्षा के बाबत कानून बनाने का अधिकार है। जबकि अधिनियम 1992 उन अल्पसंख्यकों के हेतु है जिन्हें केन्द्रीय सरकार अल्पसंख्यक घोषित करेगी और अनुच्छेद 29-30 धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का मूल अधिकार देता है और टीएमए पाई का निर्णय निर्देश देता है कि ऐसे शिक्षण संस्थानों के मामले में केन्द्र कोई दखल नहीं देगी। अत: यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियमए 1992 अवैध है और साथ ही अल्पसंख्यक की परिभाषा अविवेकपूर्ण हैए निरंकुश है और अधिकार शून्य होने से अवैध है। इस अधिनियम 1992 की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।

उपरोक्त विवेचन से इम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुलसलमानों को जो 4 प्रतिशत कोटा (आरक्षण)दिया है वह अवैध है। इन्द्रा साहनी के केस में जो आरक्षण के सम्बन्ध में एक अकाट्य नजीर है, उसके अनुसार भी यह आरक्षण असंवैधानिक है। उक्त नजीर में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं, उसके अनुसार आरक्षण पिछडेपन (सामाजिक उत्पीडन) के आधार पर है। यह माना गया है कि हिन्दू व गैर हिन्दू की गणना के अनुसार हिन्दू 50प्रतिशत से अधिक हैं और दूसरा सिद्धान्त उक्त केस में यह निर्धारित किया है कि गैर हिन्दू आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। वस्तुत: 4प्रतिशत मुसलमानों का सरकारी अनुबंधों में आरक्षण, इन्द्रा साहनी के केस से भिन्न है। मूल प्रश्न है, अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक की परिभाषा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम, 1992 की धारा-2 (सी) में है, वह तो प्रत्यक्षत: ही निरंकुश है, विवेकशून्य है और साथ ही हास्यास्पद भी। जब अल्पसंख्यक की परिभाषा ही अवैध है तो फिर अधिनियम 1992 स्वंय ही अर्थ शून्य हो जायेगा। यह भी हमारी जानकारी में होना चाहिये कि इन्द्रा साहनी का केस समाज के पिछडों, एससी व एसटी के लोगों को समानता के स्तर पर लाने के हेतु था। किन्तु यह स्थिति उन लोगों की नहीं हैए जिन्हें धारा 2 (सी) की केटेगरी में अल्पसंख्यक के रूप में लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मत प्राप्त करने हेतु कुछ घर्म के लोगों को लुभाने हेतु यह कानून लाया गया है। प्रीबीज का यह भी एक रूप है। कर्नाटक सरकार का निर्णय कि वह सार्वजनिक कार्यों के ठेके में 4 प्रतिशत आरक्षण मुस्लिमों को देंगे जबकि एसटीए एससी और ओबीसी को पहले ही से आरक्षण है। विभिन्न प्रकार के आरक्षण से जहां विकास होना चाहिये था वहां 75 वर्ष पूरे हो जाने के बाद किसी को भी क्रिमीलेयर में स्थान नहीं दिया जा रहा है और अनुच्छेद 334 के तहत् आज भी आरक्षण को समय सीमा को अप्रभावी नहीं माना जा रहा हैए जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार सही नहीं है यह कृत्य धार्मिक भेदभाव व तुष्टिकरण का ही एक रूप है। अत: यह प्रावधान असंवैधानिक है।

सत्यमेव जयते !

पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश राज.हाई कोर्ट

निजी शिक्षण संस्थानों में भी एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण की गूंज

कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि एससी-एसटी और ओबीसी कोटे के लिए एक नया कानून बनाया जाए, जिससे निजी गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो सके।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि संसदीय स्थायी समिति ने अनुच्छेद 15(5)को लागू करने के लिए एक नया कानून लाने की सिफारिश की है। अनुच्छेद 15(5) के तहत सरकार को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सके, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थानों में आरक्षण शामिल है, लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इससे छूट दी गई है।

प्राइवेट संस्थानों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हुए अन्य वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।

पिछले 11 वर्षों से अनुच्छेद 15(5) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य है।

अनुच्छेद 15(5) को लागू करने के लिए कानून के घटनाक्रम को स्पष्ट करते हुए रमेश ने कहा कि संसद में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियमए 2006 पारित किया गया था और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 3 जनवरीए 2007 से लागू किया गया था। 10 अप्रैल, 2008 को अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2-0 के अंतर से अनुच्छेद 15 (5) को केवल राज्य द्वारा संचालित और राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है और निजी गैर.सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण को उचित तरीके से तय करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। 12 मई, 2011 को आईएमए बनाम भारत संघ के मामले में उन्होंने कहा कि 2-0 के अंतर से अनुच्छेद 15 (5) को निजी गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए बरकरार रखा गया है।

एक अन्य मामले का हवाला देते हुए रमेश ने कहाए ष्प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ 29 जनवरी, 2014 5-0 के अंतर से अनुच्छेद 15(5) को पहली बार स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया है।

उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण भी संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है।

समता आन्दोलन के सभी सदस्यों और प्रदेश के सभी नागरिकों को 18वें स्थापना दिवस 11 मई की बहुत-बहुत बधाई और अनन्त शुभकामनाएँ।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in